

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
14/11/20	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।	
28.12.22	अंचल अधिकारी, मनात। <i>अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय।</i> <i>अंचल अधिकारी, मनात।</i>	
02.01.23	<i>अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय।</i> <i>अंचल अधिकारी, मनात।</i>	

12.11.23

अभिलेख उपस्थापित और निरीक्षक को नोटिस
अभिलेख दिनांक 26.11.2023 के नोटिस

१८
अचल अधिकारी
मनातू

03-05-23

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस
कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से
नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक.....19-05-2023..... को रखें।

१८.5.23
अंचल अधिकारी,
मनातू।

19-05-2023

अभिलेख उपस्थापित।

जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती पर्चा केश नं० 190/2002-2003 एवं नक्शा की प्रति जमा की गई है। समर्पित किए गए राजस्व कागजातों की प्रति के अनुसार राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 14-07-23 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

14-07-2023

अभिलेख उपस्थापित।

अन्य कार्य की व्यवस्तता के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं की जा जा सकी। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 12-10-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

18-10-2023

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं० 39/10 पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/श्रीमति. शान्ति वाद 10/07/2002 जमा किया गया है। परिवर्तण के प्रधिकार कॉलम में बंदोवस्ती वाद सं० 190/2002-03 आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

ऑफिस अधिकारी

मन्ना, पलामू

विषय:- ऑफिस/संवेक्षणपत्र जमावंदी केश नं० 84/2016-17 का
जॉय प्रतिवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपलाइन मीठा पंजी-11
के अपलोड पश्चात पाया कि मीठा पंजी-11 पेज नं०-
39/10 पर मीठाप्यारी रैयत खान्ती वीवी, एच० नैजाम मिर्चा ②
श्रीम मिर्चा ①० जमीर मिर्चा ③ रैयज मिर्चा, मैराज मिर्चा, मुफ्फर
मिर्चा, अक्टर मिर्चा सभी के पिता - जनीफ मिर्चा के नाम से
मीठा कायम है। मीठा पंजी-11 के अनुसार भूमि का विवरण
निम्न है:-

<u>मीठा</u>	<u>खता</u>	<u>एलौर</u>	<u>रकबा</u>	<u>परिवर्तन के लिए प्राधिकार</u>
मीडिहा 02	106/2	0.10		Settlement case NO-190/
	106/2	0.45		2002-03 by order S.O. 6
	106/3	0.65		medinimagar.
	117	0.25		
		<u>1.45</u>		

प्रतिवेदित भूमि का एकमात्र रसीद दिनांक - 20/04/12 को निर्गत
है, रसीद संख्या - 4968303 एवं paid - 2002-13 वर्ग है।
मीठाप्यारी रैयत से उपरोक्त भूमि से संबंधित राजस्व
दस्तावेज की मीठा की गई है, जो कि अभी तक हाथ
नहीं है। मीठाप्यारी रैयत से भूमि कंट्रोलरी से संबंधित
दस्तावेज, राजस्व रसीद एवं कंट्रोलरी फर्मा, ऑफिस कार्यालय
से सूचना निर्गत कर मीठा की जा सकती है, बतवश्यात
अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

आतः जॉय प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु साफ समझ।

आवेदक द्वारा कंट्रोलरी, राजस्व रसीद एवं
संश्लेषी नक्शा प्राप्त हुआ है। आतः मीठाप्यारी
द्वारा हाथ राजस्व दस्तावेज एवं पंजी-11 के प्राधिकार
कोलन में दर्ज settlement case NO-190/2002-03 by order
S.O. 6 medinimagar के आधारे पर
नए माशुका संदिग्ध/संवेक्षणपत्र प्रतीत नहीं
होता है।

विश्वासभाजन
अनिल कुं रजक
श० ५० प्रि०
हलका - 111

र-5.1+1

सेवा में,

श्री मान्द अंचल अधिकारी
भनातु, पलगाय।

विषय:- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं. 84/2016-17 का स्वाम
जॉन्स प्रतियेदन का समर्पण।

महाराज,

उपरोक्त विषयांगर सम्बन्धित प्रतियेदीन करना है कि ग्राम-
नौडीया धाना-भनातु, धाना नम्बर-346 के अन्तर्गत खारा 02 लोह
नं. 106 एवं 117 पर जया। वन्दोवस्त्रधारी से पेपर की मांग किया
गै वन्दोवस्त्री परचरि, नस्त्र (देग नस्त्रा) राजस्व रसीद वर्ष 2012-13 का
के धराया प्राप्ति उपलब्ध कराये है। वन्दोवस्त्रधारी को वन्दोवस्त्री
केस नं. 190/2003-03 से प्राप्त हो स्वाम पर वन्दोवस्त्रधारी का
आन्ती पूर्वक दखल है।

अतः आवश्यक कारवाई हेतु स्वाम जॉन्स प्रतियेदन

खादर समर्पित।

विष्णुभास्व भाजन

अंचल अधिकारी
भनातु
16/10/23